प्रमोद कुमार व अन्य

बनाम

बिहार व्यवसायिक संघर्ष मोर्चा व अन्य

24 अगस्त 2007

(डॉ. अरिजीत पसायत व अल्तमस कबीर, न्यायाधिपति)

लोक हित वाद:

पुलिस प्रशासन और अपराधों की जांच- उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गई थी- पुलिस कर्मियों द्वारा आपराधिक घटनाओं और पुलिस कर्मियों द्वारा शोषण को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग- उच्च न्यायालय पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण/नियुक्ति और प्र.सू.रिपोर्टो की निगरानी के सबंध में निर्देश दे रहा है-अपील- इस बीच, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को प्रभावी बनाने के लिए बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 अधिनियमित किया गया- निर्धारित, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के मद्देनजर और इसके परिणामस्वरूप इस विषय पर बिहार पुलिस अधिनियम में प्रावधान किए गए, उच्च न्यायालय के निर्देश अब अधिक प्रासंगिक नहीं है।

बिहार राज्य में अधिकारियों और पुलिसकर्मियों द्वारा "आपराधिक घटनाओं को रोकने" और अधिकारियों द्वारा "शोषण" करने के निर्देश के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी। यह कहा गया कि पुलिस विभाग के अधिकारी लंबे समय तक एक विशेष स्टेशन पर बने रहे जो अवाछंनीय था। उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने अपने निर्णय दिनांक 15/05/ 2006 में अन्य बातों के साथ-साथ पुलिस अधिकारियों के स्थानान्तरण/ पदस्थापन्न और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की सहायता से प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीयन की निगरानी के संबंध में निर्देश दिए।

यह अपीले यह तर्क देते हुए दायर की गई उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश बिहार पुलिस नियमावली के प्रावधानों के विपरीत थे।

इसी बीच बिहार प्रकाश सिंह के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को प्रभावी बनाने के लिए बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 लागू किया गया था।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः प्रकाश सिंह के मामले में आई.जी. पुलिस और अन्य अधिकारियों के कार्यकाल के संबंध में अदालत के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, जॉच, पुलिस स्थापना बोर्ड का निर्माण और इसके परिणाम स्वरूप बिहार पुहलस

अधिनिमय 2007 का अधिनियमन, अन्य बातों के साथ-साथ, पुलिस का अधीक्षण एवं प्रशासन, राज्य पुलिस बोर्ड के कार्य, पुलिस महानिदेशक की शक्तियां एवं उत्तरदायित्व, स्थानान्तरण एवं विशेष अपराध जांच इकाइयों की नियुक्ति, निर्माण और कार्य प्रणाली आदि, उच्च न्यायालय के निर्देश अब प्रासंगिक नहीं है।

(पेरा 4 और 9) (325-डीः, 329-एच)

प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (2006) 8 एससीसी 1, संदर्भित किया गया।

सिविल अपीलीय क्षैत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 2007 का 3386-3887,

पटना उच्च न्यायालय के 2003 की संख्या 1311 सी.डब्ज्यू.जे.सी. में अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 14.08.2003 एवं 21.11.2003 से।

अपीलकर्ताओं के लिए प्रभाशंकर मिश्र, उपेन्द्र सिंह मिश्र, ध्रूव कुमार झा, रवि और एस चन्द्रशेखर

प्रत्यर्थियों की ओर से गोपाल सिंह, अनुकूल राज और ऋतुराज विश्वास

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

डॉ अरिजित पसायत, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. इन अपीलों में पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर जनहित याचिका में कुछ निर्देश देते हुए पारित आदेश को चुनौती दी गई है। रिट याचिका में प्रार्थना अनिवार्य रूप से अधिकारियों को "दुकानदारों, डीलरों, कारीगरो और ओद्यौगिक और औद्योगिक इकाइयों और मजदूरों और औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ अपराधिक घटनाओं को रोकने और अधिकारियों और पुलिस कर्मियों द्वारा उनके शोषण को रोकने के लिए" निर्देशित करने के लिए थी।

3. मूल शिकायत यह थी कि पुलिस विभाग में अधिकारियों को लंबे समय तक एक ही स्टेशन पर रखा जाता था जो अवांछनीय है। उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित निर्देशों और टिप्पणियों के साथ रिट याचिका का निपटारा किया -

(ए) पुलिस महानिदेशक को स्टेशन हाउस ऑफिसर से लेकर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक तक के अधिकारियों की एक सूची बनाने दे, जो चार साल से अधिक समय से अपने स्टेशन पर बने हुए है। इस डोजियर को संवा रिकॉर्ड से जानकारी के साथ समर्थित किया जाता है कि कौन सा अधिकारी अपने पूरे करियर में किस स्टेशन पर और कितने

समय से एक ही स्टेशन पर बने हुए है, उन्हें आज से छह सप्ताह के भीतर पोस्टिंग देखनी होगी। ये पुलिस महानिरीक्षक रैंक से नीचे के अधिकारी होंगे। एस.एच.ओ. के नीचे के कर्मचारी जो किसी विशेष स्टेशन पर तीन साल से अधिक समय तक रहे है, उनकी पहचान संबंधित पुलिस के जिला प्रमुखों द्वारा की जायेगी और उनकी आवाजाही पुलिस महानिदेशक द्वारा की जायेगी।

यह उल्लेखनीय है कि चार साल की अवधि इसलिए निर्धारित की गई है क्योंकि सरकारी सेवा के सामान्य पाठ्यक्रम में, अधिकारियों के लिए तबादले और पोस्टिंग की जाती है यदि वे तीन साल से अधिक समय से किसी विशेष पोस्टिंग पर है। यह आदेश स्पष्ट रूप से पुलिस महानिदेशक को कोई भी स्थानान्तरण करने से नहीं रोकता है, यदि कोई अधिकारी कम अवधि के लिए पोस्टिंग पर रहा हो, जो सामान्य प्रशासनिक शक्तियों के भीतर है।

(बी) अपराध की निगरानी के लिए जिसे पंजीकृत करने के लिए कानून राज्य को बाध्य करता है, अदालत निम्न लिखित उपाय सुझाती है:-

बिहार राज्य राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र भारत सरकार, राज्य ईकाई से अनुरोध करेगा कि वह प्रथम सुचना रिपोर्ट के पंजीयन की निगरानी के लिए एक ब्लू प्रिंट तैयार करे, चाहे वह प्र.सू.रि. के रूप में दर्ज हो या

सामान्य डायरी में प्रविष्टि हो।न्यायालय के 5 अगस्त 2005 के आदेश के क्रम में ऐसा प्रत्येक अभिलेख संबंधित पुलिस थानों द्वारा जिला पुलिस अधिकारी, चाहे वह पुलिस अधीक्षक हो या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, को प्रेषित किया जायेगा। इससे जिला पुलिस मुख्यालय पर एक डाटा-बेस तैयार होगा। प्र.सू.रि. या सामान्य डायरी का सारांश जिसमें अपराध और व्यक्ति का नाम शामिल है, जिला जजशिप (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को प्रेषित किया जायेगा। एक आवधिक रिपोर्ट, जैसा कि पुलिस नियमों की आवश्यकता है, रिपोर्ट किए गए अपराध पर की गई प्रगति और कार्यवाही पर भी दी जायेगी, चाहे वह अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए परिणत हुई हो या संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र दायर करने के लिए। यदि किसी आरोपी का सामान्य नाम एक से अधिक जिलों में हो रहा है, तो यह जानकारी उन पुलिस अधिकारियों के बीच साझा की जायेगी जो संबंधित जिलों के प्रमुख है और पुलिस मुख्यालय को सूचित किया जायेगा और 5 अगस्त 2003 के आदेश के अनुसार भी। जिला जजशिप के लिए, राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) एक योजना भी तैयार करेगा (न्यायालय के 5 अगस्त के आदेश और आदेश का संदर्भ) कि कैसे पुलिस स्टेशन द्वारा अभिलिखित करने में विफलता पर एसपी/एसएसपी/सीजेएम द्वारा कम्प्यूटर से प्र.सू.रि. दर्ज की जा सकती है। यह, और राज्य में अपराध और अपराधियों पर एक डेटा बेस बनाना है। राज्य सरकार द्वारा

इस पर उचित कार्यवाही के लिए एनआईसी द्वारा पुलिस महानिदेशक को रिपोर्ट सौपी जायेगी और उच्च न्यायालय को रिपोर्ट और उस पर प्रगति के बारे में सूचित किया जायेगा।

4. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने कहा कि निर्देश बिहार पुलिस मैनुअल के नियम 778 (अपप) के विपरित है। रिट याचिका के कथन अत्यन्त अस्पष्ट थे। अधिकारियों को "अपराधिक घटनाओं" और "शोषण" को रोकने के लिए निर्देशित करने की प्रार्थना को प्रमाणित करने के लिए एक भी उदाहरण नहीं दिया गया। उच्च न्यायालय ने निरर्थक रिट याचिका को खारिज करने के बजाय बडी संख्या में उन अधिकारियों की सेवा शर्तो को छूने वाले निर्देश दिए है जो प्रतिनिधि क्षमता में भी पक्षकार नहीं थे। सुनवाई के दौरान, प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान वकील ने हमारे ध्यान में बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 लाया। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संध व अन्य (2006) के मामले में इस न्यायालय के निर्देशों को प्रभावी करने के लिए बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 अधिनियमित किया गया है। अधिनियम के कई प्रावधानों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वे इस प्रकार पढते है:

''अध्याय III

पुलिस का अधिक्षण एवं प्रशासन

23. राज्य पुलिस बोर्ड

सरकार इस अधिनियम के लागू होने के छः महीने के भीतर, इस अध्याय के प्रावधानों के तहत निहित कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए एक राज्य पुलिस बोर्ड की स्थापना करेगी।

24. राज्य पुलिस बोर्ड की संरचना, राज्य पुलिस बोर्ड निम्नलिखित का गठन करेगा

1. मुख्य सचिव, अध्यक्ष

2. पुलिस महानिदेशक, सदस्य

3. गृह विभाग के प्रभारी सचिव, सदस्य सचिव

25. राज्य पुलिस बोर्ड के कार्य, राज्य पुलिस बोर्ड निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा

(ए) पुलिस प्रशासन को कानून के अनुसार कुशल, प्रभावशाली, संवेदनशील और जवाबदेह बनाने के लिए व्यापक नीति दिशा निर्देशों का निर्माण।

(बी) पुलिस सेवा के कामकाज के आंकलन के लिए प्रदर्शन संकेतक की पहचान, प्रदर्शन संकेतक में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित शामिल होंगेः-

पुलिस अनुसंधान और प्रतिक्रिया, जवाबदेही, संशोधनों का अधिकतम उपयोग, परिचालन दक्षता, सार्वजनिक संतुष्टि और मानवाधिकारों के मानदंडों के अनुपालन की तुलना में पीडितो की संतुष्टि।

(ग) राज्य में जिलेवार पुलिस सेवा के चिन्हित एवं निर्धारित प्रदर्शन संकेतक तथा पुलिस को उपलब्ध एवं नियंत्रणाधीन संसाधनों की तुलना में संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा एवं मूल्यांकन।

27. पुलिस महानिदेशक की शक्तियों एवं उत्तरदायित्वः 1. राज्य पुलिस सेवा के प्रमुख के रूप में, पुलिस महानिदेशक की निम्नलिखित जिम्मेदारियां होंगीः-

(ए) सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों, रणनीतिक योजनाओं और वार्षिक योजना को लागू करना।

(बी) पुलिस सेवा की दक्षता, प्रभावशीलता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए, संचालन नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण।

30. स्थानान्तरण एवं पदस्थापन्न

(1) पर्यवेक्षी ग्रेड के पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों का स्थानान्तरण और पोस्टंग समय समय पर सरकार द्वारा बनाए गए आचरण, नियम और अन्य नियमों द्वारा शासित होगी।

(2) अधिकारियों का कार्यकाल सामान्यतः दो वर्ष का होगा।

हालांकि ऐसे किसी भी अधिकारी को निम्नलिखिक कारणों से दो वर्ष या उससे अधिक के कार्यकाल की समाप्ति के पहले उनके पद से स्थानान्तरित किया जा सकता हैः

(ए) उच्च पद पर पदोन्नति पर।

(बी) किसी भी अदालत द्वारा दण्डनीय अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने या आरोप पत्र दायर किए जाने पर।

(सी) असमर्थता के कारण या शारीरिक या मानसिक बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ होने पर।

(डी) पदोन्नति स्थानान्तरण या सेवानिवृति के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने की आवश्यकता।

(ई) अन्य प्रशासनिक कारण जो कर्तव्यों के कुशल निष्पादन के पक्ष में है।

5. अध्याय III पुलिस बल के अधीक्षण एवं प्रशासन से संबंधित है।

6. अधिनियम की धारा 10 कुछ पदों के स्थानान्तरण और पदस्थान से संबंधित है। जिसे निम्नानुसार पढते है:

(1) किसी विशेष पद पर इन्सपेक्टर से लेकर सिपाही तक के पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने अधिकार क्षैत्र में की जाएगी, इनका कार्यकाल जिले में 6 वर्ष, रेंज में 8 वर्ष और जोन में 10 वर्ष होगा। रेंज के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण रेंज के पुलिस उप-महानिरीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक की गठित समिति द्वारा किया जाएगा। एक रेंज से दूसरे रेंज में स्थानान्तरण जोन के पुलिस महा-निरीक्षक और जोन के सभी रेंज के पुलिस उप-महानिरीक्षक की गठित समिति द्वारा किया जाएगा। एक जोन से दूसरे जोन में स्थानान्तरण जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक की समिति द्वारा किया जाएगा।

(2) किसी पुलिस स्टेशन में स्टेशन हाउस ऑफिसर या पुलिस सर्कल या उप-मंडल या जिले के पुलिस अधीक्षक के प्रभारी के रूप में तैनात अधिकारियों का कार्यकाल न्यूनतम दो वर्ष का होगा। हालांकि, ऐसे किसी भी अधिकारी को निम्नलिखित कारणों से दो वर्ष या उससे अधिक के कार्यकाल की समाप्ति से पहले उनके पद से स्थानान्तरित किया जा सकता हैः

(ए) उच्च पद पर पदोन्नति पर या,

(बी) किसी भी अदालत द्वारा किसी दण्डनीय अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने या

आरोप पत्र दायर किए जाने पर,

(ग) शारीरिक या मानसिक अस्वस्थता या किसी अन्य कारण से असमर्थता के कारण

अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होने पर या,

(डी) पदोन्नति स्थानान्तरण या सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली

रिक्तियों को भरने की आवश्यकता,

(ई) अन्य प्रशासनिक कारण जो कर्तव्यों के प्रभारी निर्वहन के पक्ष में है।

7. अध्याय 5 जांच में विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी का उपयोग कर अपराधों की प्रभावी जांच करने से संबंधित है। धारा 36, 38 एवं 45 को निम्नानुसार पढते है:

"36. विशेष जांच इकाई का गठन-

सरकार अपराध प्रभावित क्षैत्रों में विशेष अपराध जांच इकाई का गठन करेगी, जिसका नेतृत्व राज्य कैडर के पुलिस उप-निरीक्षक रैंक से

नीचे का पुलिस अधिकारी नहीं करेगा, जिसे आर्थिक जांच के लिए आवश्यक संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों की सहायता मिलेगी एवं जघन्य अपराधों के लिए पुलिस महानिदेशक की लिखित अनुमति के अलावा असाधारण परिस्थितियों में इस इकाई में प्रतिनियुक्त कर्मियों को अन्य कार्य में नहीं लगाया जाएगा।

38. विशेष अपराध अनुसंधान इकाईयों में तैनात अधिकारियों का कार्यकाल-

विशेष अपराध जांच इकाईयों में तैनात अधिकारियों का कार्यकाल आम तौर पर तीन साल का होगा, उसके बाद उन्हें बारी-बारी से कानून व्यवस्था और अन्य प्रकार के कार्यों में लगाया जाएगा।

42. विशेष अन्वेक्षण प्रकोष्ठ हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विशेष चलन, इस सेल में तैनात होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष रूप से चयनित और प्रशिक्षित भी किया जाएगा।

45. अपराध अनुसंधान विभाग के अधिकारियों का चयन-

अपराध जांच विभाग में तैनात अधिकारियों का चलन उनकी रूचि, पेशेवर कौशल, अनुभव और उनकी ईमानदारी के आधार पर किया जाएगा, उनके चयन के बाद उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाएगा और समय समय पर पुनर्भिन्यास और विशेष पाठ्यक्रमों के माध्यम से उनके ज्ञान और कौशल को उन्नत किया जाएगा।"

8. प्रकाश सिंह के मामले (उपरोक्त) में, पैरा संख्या 31 में यह निर्धारित किया गया था, जहॉ तक सुसंगत है, वह निम्नानुसार है:

"पुलिस आई.जी. और अन्य अधिकारियों का न्यूनतम कार्यकाल

(3) क्षैत्र में परिचालन कर्तव्यों पर तैनात पुलिस अधिकारी जैसे प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक जोन, पुलिस उप महानिरीक्षक प्रभारी रेंज, पुलिस अधीक्षक प्रभारी जिला और एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी स्टेशन हाउस अधिकारी का निर्धारित न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष का होगा, जब तक कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही या किसी आपराधिक अपराध या भ्रष्टाचार के मामले में उनकी दोषसिद्धि के बाद उन्हें समय से पहले हटाना आवश्यक न हो या यदि पदधारी अन्यथा अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में अक्षम न हो। यह अधिकारी की पदोन्नति और सेवानिवृति पर निर्भर होगा।

जांच का पृथक्करण

(4) त्वरित जांच, बेहतर विशेषज्ञता और लोगों के साथ बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के लिए जांच पुलिस को कानून और व्यवस्था पुलिस से अलग किया जाएगा। हालांकि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दोनों शाखाओं के बीच पूर्ण समन्वय हो। अलगाव, शुरूआत में, उन कस्बों/शहरी

क्षैत्रों में प्रभावी हो सकता है जिनकी आबादी दस लाख या उससे अधिक है, और धीरे-धीरे छोटे शहरों/शहरी क्षैत्रों में भी विस्तारित किया जा सकता है।

पुलिस स्थापना बोर्ड

(5) प्रत्येक राज्य में एक पुलिस स्थापना बोर्ड होगा जो पुलिस उपाधीक्षक और उससे नीचे रैंक के अधिकारियों के सभी स्थानान्तरण, पोस्टिंग, पदोन्नति और अन्य सेवाओं संबंधी मामलों पर निर्णय लेगा। स्थापना बोर्ड एक विभागीय निकाय होगा जिसमे पुलिस महानिदेशक और विभाग के चार अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। राज्य सरकार असाधारण मामलों में ऐसा करने के अपने कारण दर्ज करने के बाद ही बोर्ड के निर्णय में हस्तक्षेप कर सकती है। बोर्ड को पुलिस अधीक्षक और उससे उपर के रैंक के अधिकारियों की पोस्टिंग और स्थानान्तरण के संबंध में राज्य सरकार को उचित सिफारिशें करने के लिए भी अधिकृत किया जाएगा, और सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह इन सिफारिशों को उचित महत्व देगी और आम तौर पर इसे स्वीकार करेगी। यह पुलिस अधीक्षक और उससे उपर के रैंक के अधिकारियों की पदोन्नति/ स्थानान्तरण/अनुशासनात्मक कार्यवाही या उनके अवैध या अनियमित आदेशों के अधीन होने के संबंध में अभ्यावेदन के निपटान के लिए अपील के एक मंच के रूप में भी कार्य करेगा और आम तौर पर राज्य में पुलिस के कामकाज की समीक्षा करेगा।"

9. उपरोक्त स्थिति के अनुसार, उच्च न्यायालय के निर्देश अब प्रासंगिक नहीं है। तद्नुसार अपीलों का निपटारा किया जाता है। कोई खर्चा नहीं।

अपीलों का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी भूपेन्द्र कुमार सनाढ्य (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।